APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम कोटा .....

हीरालाल ..... बनाम टहलाराम .....

मुकदमा 89, 183, 188 ..... नं. 147 ..... सन् 2025 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/4/26	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वास्ते पेश हुई। वादीगण की ओर से वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 183, 188 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा मे मांग्या आत्मज श्री देवीराम जाति चमार निवासी ककरावदा के खाते मे अन्य भूमियो के साथ साथ खसरा नं० 34 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित थी। वादीगण मांग्या आत्मज देवीराम जाति चमार के वंशज एवं उत्तराधिकारी हैं, जो यह वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। वादीगण की जानकारी मे मांग्या जी अपनी उक्त भूमि का कभीं किसी को भी विक्रय नही किया गया, किन्तु राजस्व रिकार्ड देखने पर पता चला कि किसी बृजभूषण पुत्र टिकट नारायण जाति कायस्थ ने किसी प्रकार से फर्जीकारी करके उक्त खसरा नम्बर 34 का विकय अपने नाम करवा लिया, और उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवा ली, किन्तु उस पर वादीगण के पूर्वजो का ही निरन्तर कब्जा बना रहा। वैसे भी वादीगण के पूर्वज मांग्या जाति से चमार थे, जो कि अनुसूचित जाति में आती है, और अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान सर्वथा अवैथ है, तथा ऐसे किसी भी बेचान से खरीदार को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। बृजभूषण जी के नाम उक्त आरोजी का नामान्तकरण दिनांक 31.05.1957 को दर्ज हुआ है। वादीगण ने बूजभूषण जी के परिवार के सम्बन्ध मे जानकरी की तो यह ज्ञात हुआ कि उनके कोई वारिस नही है। सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त भूमि के नये नम्बर खसरा नं0 25 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा कायम किये गये हैं। बृजभूषण जी ने उक्त भूमि टहलाराम पुत्र कन्हैयालाल जाति आहुजा निवासी नयापुरा कोटा को बेचान कर दी, जिसके आधार पर टहलाराम के खाते यह भुमि दर्ज हो गई, जिसका खाता सं0 54 व खसरा नं0 26 रकबा 4.69 हेक्टर है, जो कोटा बारां रोड पर मानपुरा नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है। उपरोक्त आलेखित विकय पत्र से खरीदार को कोई किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही होते हैं, क्योंकि मूल खातेदार मांग्या आत्मज देवीराम जाति से चमार अनुसचित जाति का था, और तथाकथित खरीदार जाति से सवर्ण है, इसलिए तथाकथित बेचान आरम्भ से ही व्यर्थ है। प्रतिवादीगण मृतक टहलाराम के वारिसान है, इसलिए उनके विरूद्ध यह वाद प्रस्तृत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण अनपढ़ व अनुसूचित जाति के है, जिनको उपरोक्त तथ्यो की जानकारी सन 2024 में हुई, तभी से वादीगण उक्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मे लगे हुए है। जानकारी प्राप्त होने पर वादीगण ने जनवरी, 2025 मे प्रतिवादीगण से जमीन का कब्जा वापिस वादीगण को सुपुर्द करने को कहा, तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगडा करने पर उतारू हो गये, इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तूत करने को बाध्य होना पड रहा है। वादीगण ने जब से प्रतिवादीगण को समस्त तथ्यो, से अवगत कराया तो वादीगण को यह भी जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण शीघ्र ही उक्त आराजी को हस्तान्तरण करने के प्रयास में है, इस कारण राजस्थान राज्य को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना ही, यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, तथा धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। वैसे भी प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार के विरूद्ध कोई प्रभावी सहायता नही चाही गई है। सभी वादीगण का एक साथ समय 2 पर न्यायालय मे उपस्थित होना सम्भव नही है, इसलिए वादीगण प्रस्तुत वाद अपने मुख्तार के जरिये प्रस्तुत कर रहे हैं।

अतः प्राथना है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नं० 26 रकबा 4.69 हेक्टर भुमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे, तथा प्रतिवारदीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी को किसी भी प्रकार से रहन, बैय, हस्तान्तरित ना करे, और न भारयुक्त करे।

प्रतिवादी नं0 1/5 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादीगण ने यह कथन किया है कि वादीगण के पूर्वज मांग्या पुत्र देवीलाल के खाते की ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 34 की रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा भुमि है, जिसका वर्तमान सेटलमेन्ट ने नवीन खसरा नम्बर 26 की रकबा 4.69 हेक्टर कायम कर दिया है, उक्त भूमि पहले बृजभूषण नें फर्जकारी करके उक्त जमीन अपने नाम दर्ज करवाली, तथा बाद में टहलाराम पुत्र कन्हैयालाल ने दर्ज करवाली थी, तथा प्रतिवादीगण टहलाराम के उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज की जावे। वास्तवित्का यह है कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय मांग्या उर्फ मागीलाल जी नें दिनांक 30.05.1957 को जरिये विक्रय पत्र बृजभूषण को विक्रय कर कब्जा प्रदान किया, तथा विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1957 को पंजीकृत किया गया, उक्त भूमि मांग्या जी द्वारा वास्तविक दिनांक 10.09.1956 को ही बृजभूषण को विक्रय कर कब्जा प्रदान कर दिया था, बाद में विक्रय पत्र आलेखित कर उसका पंजीयन दिनांक 13.05.1957 को करवा दिया था, उक्त भूमि बृजभूषण के खाते में नियमानुसार दिनांक 15.10.1957 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दर्ज की गयी। बृजभूषण नें उक्त भूमि दिनाक 26.04.1965 को प्रतिवादी के पिता टहलाराम को विक्रय कर विक्रय पत्र आलेखित कर दिया, जिसका पंजीयन बुक नं0 1 में दिनांक 17.05.1965 को हो रहा है, उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 53 दिनांक 08.09.1974 से टहलाराम के खाते में दर्ज की गयी। इस प्रकार टहलाराम दिनांक 26.04.1965 से

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

मृत्युप्रयन्त उक्त भूमि पर काबिज रहे, तथा टहलाराम जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादीगण उक्त भुमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, वादीगण का उक्त भूमि पर दिनांक 10.09.1956 के बाद से कभी भी कब्जा नही रहा है, तथा प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण नें पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर एक वाद सं0 26/2022 बउनवान छीतर बनाम अशोक आहुजा प्रस्तुत किया था, जिसको न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 17.09.2025 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है जिसकी कोई अपील वादीगण द्वारा आपीलीय न्यायालय में नही की गयी है, पूर्व वाद निर्णित होने के पश्चात वादीगण द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जब कि माननीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में वाद का अंतिम निस्तारण कर दिया है, इसलिए प्रस्तुत वाद कानूनी रूप से चलने योग्य नही है उक्त वाद धारा 11 सीपीसी द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वाद पूर्ण रूप से अवधि बाधित है ऐसी अवस्था में वाद अवधि बाधित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 63 से भी बाधित होने के कारण चलने योग्य नही है। वाद ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों से बाधित होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि का दिनांक 31.05.1957 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जब कि मांग्या ने भूमि का कभी भी विक्रय नही किया, और न ही अनुसूचित जाति की भूमि स्वर्ण जाति का व्यक्ति खरीद सकता है। टहलाराम को भी तथाकथित विक्रय से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है, क्योंकि भूमि अनुसुचित जाति के व्यक्ति की थी, जिसने कभी भी भूमि का विक्रय नही किया। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होना भी स्वीकार नही है। वादीगण को इस सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही है। पूर्व वाद मे मांग्या के कुछ वारिसान ने ही वाद प्रस्तुत किया था, जब कि यह वाद समस्त वारिसान ने प्रस्तुत किया है, इसलिए दिनांक 17.09.2025 का तथाकथित निर्णय वादीगण पर बाध्यकारी नही है। इसलिए प्रस्तुत वाद मे रेसजूडिकेटा का प्रश्न पैदा नही होता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के सम्बंध में स्पष्ट प्रावधान है इस प्रश्न को निर्णित करने के लिए केवल वाद में उल्लेखित तथ्य ही देखे जावेगे, अन्य तथ्यो पर इस स्टेज पर विचार नही किया जा सकता है। जहां तक रेसज्यूडिकेटा व लिमिटेशन का प्रश्न है इस सम्बंध में प्रतिवादीगण के जवाब दावे के बाद तनकी बना कर उसे प्राथमिक तनकी के रूप में निर्णित किया जा सकता है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनों को दोहराया।

हस्तगत प्रकरण में वादी छीतरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादी छीतरलाल एवं उसके परिवारजन से एक मुख्तारनामा अज्ञात व्यक्ति विनोद कुमार व जसवंत सिंह ने धोखे से प्राप्त कर लिया जिन्हे कि प्रार्थी छीतरलाल व परिवारजन जानते भी नही हैं प्रार्थी व उसके परिवारजन जाति से लश्करी है जो सामान्य वर्ग में आती है तथा जो कतई भी जाति से चमार नही है उन्हे इस वाद पत्र एवं धोखे से प्राप्त किए गए मुख्तारनाम में गलत तथ्य अंकित करते हुय चमार बतलाया गया है जबकि वे जाति से चमार नही है और उनके पास चमार जाति के संबंध में किसी प्रकार का कोई जाति प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज भी नही है।

बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से कथन किया गया है कि वादीगण मांग्या आत्मज देवीराम जाति चमार के वंशज एवं उत्तराधिकारी हैं, मांग्या जी ने अपनी उक्त भूमि का किसी को भी विक्रय नही किया है। वादीगण के पूर्वज मांग्या जाति से चमार थे जो कि अनुसूचित जाति में आती है। और अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का सवर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान सर्वथा अवैध है।

वादीगण के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये प्रतिवादी नं0 1/5 की ओर से अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय मांग्या उर्फ मागीलाल जी नें दिनांक 30.05.1957 को जरिये विक्रय पत्र बृजभूषण को विक्रय कर कब्जा प्रदान किया, उक्त भूमि बृजभूषण के खाते में नियमानुसार दिनांक 15.10.1957 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दर्ज की गयी। बृजभूषण नें उक्त भूमि दिनाक 26.04.1965 को प्रतिवादी के पिता टहलाराम को विक्रय कर विक्रय पत्र आलेखित कर दिया। वादीगण नें पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर एक वाद सं0 26/2022 बउनवान छीतर बनाम अशोक आहुजा प्रस्तूत किया था, जिसको न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 17.09.2025 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है। पूर्व वाद निर्णित होने के पश्चात वादीगण द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जब कि माननीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में वाद का अंतिम निस्तारण कर दिया है, इसलिए प्रस्तुत वाद कानूनी रूप से चलने योग्य नही है। प्रतिवादी नं0 1/5 की ओर से अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के समर्थन में फोटो प्रति निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.09.25 पेश किया है। निर्णय दिनांक 17.09.25 के अवलोकन से प्रतिवादी नं0 1/5 द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि होती है कि वादीगण ने इन्ही तथ्यों के आधार पर पूर्व में एक वाद सं0 26/2022 बउनवान छीतर बनाम अशोक आहुजा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 17.09.2025 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है। पूर्व वाद निर्णित होने के पश्चात वादीगण द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर हस्तगत वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जब कि माननीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में प्रस्तुत वाद सं0 26/2022 बउनवान छीतर बनाम अशोक आहुजा का अंतिम निस्तारण किया जा चुका है।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में स्वयं को अपनी जाति चमार बताते हुये हस्तगत वाद पत्र पेश किया है। परन्तु वादीगण की ओर से अपनी जाति के सम्बंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया है साथ ही वादी छीतरलाल द्वारा भी कथन किया है कि वादी एवं उसके परिवारजन जाति से लश्करी है जो सामान्य वर्ग में आती है तथा जो कतई भी जाति से चमार नही है।

पूर्व वाद वाद सं0 26/2022 बउनवान छीतर बनाम अशोक आहुजा के निर्णय में भी इस तथ्य की स्पष्ट रूप से विवेचना की गई है कि विकेता मांग्या की जाति लश्करी अंकित है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में लश्करी जाति अनूसुचित जाति मै नही है। वादीगण का उपरोक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नही बनता है और ना ही वादीगण उपरोक्त आराजी पर काबिज है।

हमारे विनम्र मत में जब उपरोक्त आराजी के सम्बंध में पूर्व वाद सं0 26/2022 बउनवान छीतर बनाम अशोक आहुजा में उभयपक्षों को सुने जाने के पश्चात निर्णय पारित हो चुका है इस स्थिति में वादीगण द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया जाना न्यायिक प्रकिया के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। जिस कारण से प्रतिवादी नं0 1/5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर हस्तगत वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 15/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा